दिनांक 23.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 586 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस झण्डा दिवस 2026 (Police Flag Day) के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मा0 राज्यपाल महोदया एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगाया गया तथा पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पुलिस के 75वें पुलिस झण्डा दिवस के गौरवशाली अवसर पर आज दिनांक 23-11-2026 को मा0 राज्यपाल, महोदया उ0प्र0 श्रीमती आनन्दी बेन पटेल एवं मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगवाया गया एवं पुलिस झण्डा प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

मा0 राज्यपाल, महोदया एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी पुलिसजनों को शुभकामनाएं दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के प्रांगण में **'पुलिस झण्डा दिवस'** का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस ध्वज को ध्वज स्तम्भ के निकट ससम्मान लाया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्णा** व पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का अभिवादन किया गया एवं बैण्ड द्वारा **'सारे जहाँ से अच्छा'** धुन बजायी गयी। जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो उठा।

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि 23 नवम्बर, 1952 का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्कृष्ट कार्यकुशलता] अदम्य साहस एवं समर्पित सेवा के लिए पुलिस कलर (पुलिस ध्वज) प्रदान किया गया था। यह गौरव प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य पुलिस बल है। लाल एवं नीले रंग का पुलिस ध्वज शक्ति, निष्ठा, अनुशासन, त्याग एवं कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। जो पुलिसकर्मियों को प्रत्येक परिस्थिति में अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेश के लगभग 25 करोड़ नागरिकों के विश्वास एवं सुरक्षा का आधार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2 लाख 26 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती कर पुलिस बल को नई ऊर्जा एवं क्षमता प्रदान की गई है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, तकनीकी दक्षता एवं जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जघन्य अपराधों, माफियाओं, साइबर अपराधों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

ऑपरेशन कन्विक्शन की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 18 नवम्बर, 2026 तक कुल 1,64,917 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। यह उपलब्धि प्रभावी विवेचना, अभियोजन के साथ बेहतर समन्वय एवं न्यायालयों में सशक्त पैरवी का परिणाम है।

आधुनिक तकनीक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा आधारित **यक्ष ऐप** पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से अपराध नियंत्रण एवं बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिसकर्मियों को तकनीक आधारित सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संबंध में उन्होंने बताया कि **मिशन शक्ति अभियान** के अंतर्गत वर्ष 2025 में प्रदेश के प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र महिला पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने से लेकर विधिक सहायता, काउंसलिंग, संरक्षण एवं पुनर्वास तक समन्वित सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। इन केंद्रों को और अधिक संवेदनशील, सुदृढ़ एवं पीड़ित-मैत्री बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन 1930 के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रत्येक थाने पर प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की उपलब्धता एवं जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को जनभागीदारी का विषय बनाया जा रहा है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक ने बताया कि **RTC (Reducing Traffic Congestion)** योजना के अंतर्गत यूपी गति प्लेटफॉर्म पर गूगल के रियल-टाइम ट्रैफिक डेटा के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव एवं कंजेशन की निगरानी की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप मार्च, 2026 में प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित 16,723 कंजेशन पॉइंट्स की संख्या अक्टूबर, 2026 में घटकर 6,080 रह गई, जो लगभग 64 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।

इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को न्यूनतम करने के उद्देश्य से जीरो फटालिटी डिस्ट्रिक्ट्स (ZFD) योजना को प्रदेश, जनपद, थाना, क्रिटिकल कॉरिडोर एवं ब्लैक स्पॉट स्तर तक लागू किया जा रहा है। नियमित समीक्षा एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में अक्टूबर तक सड़क दुर्घटनाओं में 9 प्रतिशत तथा दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। **इन प्रयासों से 1,000 से अधिक बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा संभव हुई है।**

पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस की वर्दी अपराधियों के मन में कानून का भय तथा आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का विश्वास उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। इसके लिए कठोरता के साथ संवेदनशीलता भी आवश्यक है। तकनीक पुलिस का सामर्थ्य है, जबकि नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता उसका संस्कार है। प्रत्येक पुलिस कार्रवाई में कानून की मर्यादा, मानवीय गरिमा एवं न्याय की भावना सर्वोपरि रहनी चाहिए।

उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिवारों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों के कर्तव्य निर्वहन में उनके परिवारों का त्याग, धैर्य एवं सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना एवं हरसंभव सहयोग के संकल्प को दोहराया। उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के योगदान एवं सेवाओं के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की।

अपने संबोधन के अंत में पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को देश ही नहीं, बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ पूरी ऊर्जा, अटूट विश्वास एवं उच्चतम व्यावसायिक दक्षता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने अनुशासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा को पुलिस कार्यशैली का अभिन्न अंग बनाए रखने तथा नागरिकों के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया।

अंत में पुलिस महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिजनों, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों एवं पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को पुलिस झण्डा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

दिनांक 23.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 587/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद एटा/थाना जैथरा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 23.11.2026 को थाना जैथरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामजीलाल को गिरफ्तार किया गया। 01 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जैथरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामजीलाल निवासी ग्राम ढकपुरा थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना मुबारकपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 16 ग्राम मादक पदार्थ(हेरोइन)**
- **02 डिब्बे रासायनिक पदार्थ (ब्रुसीन)**
- **1130/–रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 22/23.11.2026 की रात्रि थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बावन बीघा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–मो0 शाहिल 2–जीशान को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 16 ग्राम मादक पदार्थ(हेरोइन), 02 डिब्बे रासायनिक पदार्थ (ब्रुसीन), 1130/—रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 शाहिल निवासी कोटकिला बारहदरी शाहीन कालोनी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

2—जीशान निवासी कोटकिला नाला धर्मू थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 16 ग्राम मादक पदार्थ (हेरोइन)।

2—02 डिब्बे रासायनिक पदार्थ (ब्रुसीन)।

3—1130/—रूपये नगद।

4—02 मोबाइल फोन।

5—घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

- **जनपद शाहजहॉपुर/थाना निगोही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना निगोही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गौरव उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना चिकासी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना चिकासी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बृषभान को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना मूसानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना मूसानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्णपाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कल्लन उर्फ श्यामबिहारी को 10 वर्ष के कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————